

परियोजना का नाम- मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैकटर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
गौला वन क्षेत्र
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


इष प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


Zila Sahayik Kalyan Evam Punarvas
Adhikari, Haldwani (Nainital)
प्रयोक्ता एजेन्सी


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.